



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम टावर, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrotko@gmail.com

पत्र सं० 8वीं/सू०पी०/०६/२५/२०१९/एफ०सी० 136

दिनांक : 10.04.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)  
एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

(आनंलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/36788/2018)

विषय: जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा०मा० सं०-29ई०) के किमी० 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी० 98.945 (मोदतीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी० 85.500 (गानीराम रेलवे क्रॉसिंग) पर प्रस्तावित आर०ओ०बी० के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1849/11-सी-FP/UP/Others/36788/2018, लखनऊ, दिनांक-27.03.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवर्तित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

- 1- As per DSS-analysis the area of proposed land to be diverted is only 0.14 ha, which is less than the area mentioned in the proposal. This needs rectification.
- 2- No of plants/hectare proposed in CA must not be less than 1000 plants/hectare. The CA proposed is only for 108 plants which needs rectification.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)  
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
4. कार्य अधीक्षक, अ०वि०नि०ई० (रा०मा०), लो०नि०वि०, गोरखपुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रभावली।

(के० के० तिवारी)  
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1951 / 11-सी-FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 12, 2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- कार्य अधीक्षक, अ०वि०नि०ई० (रा०मा०), लो०नि०वि०, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ